न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 378/2023 गलत्ता बाद

विरूद्ध

1. अमर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी ... तह. कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. ... पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी ... उम्र बालिग उम्र निवासी ... तह. मण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. ... पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी ... उम्र बालिग निवासी ... तह. मण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. ... पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग उम्र निवासी ... तह. ... जिला ...
5. ... पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी ... उम्र बालिग उम्र निवासी ... तह. ... जिला चित्तौड़गढ़

-वादीगण

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी ... तह. कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री ... कोठारी – वादी
2. श्री ... शर्मा – प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 15/.../23

वादीगण की ओर से दिनांक 18.07.2022 को अधिवक्ता श्री ... द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे पूर्व में उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के रजिस्टर में क्रम संख्या 60/2022 पर दर्ज किया गया और विधिवत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1-3 सि.प्र.सं. में प्रस्तुत है-

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 जन्म से हिन्दू होकर एक ही पूर्वज के वंशज है जिनका पारिवारिक वंशवृक्ष निम्न प्रकार है-

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू धर्म के मिताक्षरा शाखा से शासित होने के कारण उनके सम्पत्ति संबंधी अधिकारों का विनियमन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 8 के तहत किये जाने के वैधानिक प्रावधान है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी जायदाद [illegible] की राजस्व सीमा में स्थित है। जिसमें संख्या 2 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों में [illegible] पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, [illegible] पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, सरदार कंवर पत्नी [illegible] उम्मेदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत अविभाजित खातेदार आराजी संख्या 138, 164, 278, 302, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 357, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 506, 57[illegible], 57[illegible]/1, 583, 584, 585, 588, 591, 592, 593, 594, 595/1, 603, 606 कुल किता 37 रकबा 38.6881 हैक्टेयर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

इसके अतिरिक्त आराजी [illegible] संख्या 934 रकबा 5 बिस्वा में [illegible] उनके हिस्से अनुसार हक अधिकार रखते है।

इससे पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि उम्मेदसिंह पुत्र [illegible] राजपूत के नाम पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2028 से 2040 अनुसार दर्ज रही है। उम्मेदसिंह जी की मृत्यु दिनांक 01-6-2001 में हो जाने के बाद उसका नामान्तकरण संख्या 674 दिनांक 5-9-2002 से उनके पुत्र भवानीसिंह, लक्ष्मणसिंह व विधवा सरदार कंवर के नाम वादग्रस्त भूमि बराबर हक से दर्ज कर दी गयी जो [illegible] रूप से दर्ज की गयी।

उम्मेदसिंह जी की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से उनके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बिना जानकारी लिए नामान्तकरण खोला जाकर उम्मेदसिंह जी की पुत्रियां वादीगण संख्या 2 लगायत 5 तक जो उम्मेद जी की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा [illegible] कृषि भूमि में पुत्रों व पत्नि की तरह बराबर का हक हिस्सा दर्ज किये जाने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

उम्मेदसिंह जी के दो पत्नियां प्रथम विवाहिता पत्नि सूरजकंवर व द्वितीय विवाहिता सरदार कंवर थी। उम्मेदसिंह व सूरजकंवर के विवाहोत्तर शारीरिक सम्बन्धों से एक पुत्र [illegible] संख्या 01 लक्ष्मणसिंह व चार पुत्रियां वादीगण संख्या 2 लगायत 5 तक हुयी एवं सरदार कंवर व उम्मेदसिंह जी के विवाहोत्तर शारीरिक सम्बन्धों से दो पुत्र भवानीसिंह व शिवसिंह हुये [illegible] शिवसिंह उम्मेदसिंह जी के जीवन काल में [illegible] जी के गोद चला गया। [illegible] शिवसिंह को उम्मेदसिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी [illegible] सम्पत्ति प्राप्त हो गयी। इसलिए उम्मेदसिंह जी की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा भवानीसिंह 1/3 हिस्सा सरदार कंवर एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया।

उम्मेदसिंह जी की जब मृत्यु हुयी तब उम्मेदसिंह जी की विवाहिता प्रथम पत्नि सूरजकंवर जीवित थी इसलिए उनके उम्मेदसिंह जी [illegible] उत्तराधिकारी [illegible] होने से [illegible] हिस्सा पाने की अधिकारिणी थी। [illegible] उत्तराधिकारियों की तरह बराबर का हिस्सा [illegible] हिस्सेदारी प्राप्त हो उम्मेदसिंह जी की मृत्यु के तत्काल [illegible] गयी।

उम्मेदसिंह जी की मृत्यु के तत्काल पश्चात ही 1/8 वा हिस्सा सूरजकंवर को 1/8 वा हिस्सा [illegible] कंवर को 1/8 वा हिस्सा सरदार कंवर को 1/8 वा हिस्सा [illegible] कंवर को 1/8 वा हिस्सा लक्ष्मणसिंह को 1/8 वा हिस्सा [illegible] कंवर 1/8 वा हिस्सा [illegible] को 1/8 वा हिस्से की हकदार को प्राप्त हो गया। [illegible] कंवर की मृत्यु हो गयी इसलिए उसका 1/8 वा हिस्से की हकदार उसकी पुत्री [illegible] वादिया क्रम 4 है। उक्त हिस्सा [illegible] की उत्तराधिकार [illegible] नामान्तकरण खोला जा कर [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त [illegible]

श्रीमान स्वर्गीय श्री उमेदसिंह जी द्वारा [illegible] उत्तराधिकारियों के नाम पर प्रत्येक के 1/3 हिस्से से [illegible] कृषि भूमि राजस्व [illegible] अभिलेख में लिखित है। [illegible] के 1/3 हिस्से से [illegible] हुए है, [illegible] कर दी गयी है। वादीगण के वादी संख्या 01 के 1/3 हिस्से की दर्ज खातेदार [illegible] के 1/3 हिस्सा व [illegible] के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या [illegible] [illegible] होकर प्रत्येक वादी के नाम पर 1/8 का हिस्सा [illegible] 1/8 का हिस्सा दर्ज किया जाकर [illegible] [illegible] किया जाना [illegible] है [illegible] है।

श्री उमेदसिंह जी की मृत्यु के पश्चात सभी [illegible] हिस्से पर कब्जा होने की स्थिति में [illegible] जायदाद कृषि भूमि [illegible] [illegible] के [illegible] की [illegible] है।

वादीगण उनके बनने वाले हिस्से अनुसार [illegible] हिस्सा [illegible] व प्रतिवादी संख्या 01 से [illegible] के अधिकारी है जो उनका कानूनी अधिकार है।

प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर उनके बनने वाले हिस्से से अधिक हिस्सा उनके नाम पर दर्ज है इसलिये वह न तो अपना हिस्सा [illegible] करवाने को तैयार है न ही भूमि का बंटवारा हिस्सेनुसार करने को तैयार है इसलिए वादीगण के पास उनके बनने वाले हिस्से अनुसार उनके नाम पर दर्ज तथा बंटवारा कराने हेतु [illegible] के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। वादी संख्या 01 अपने बनने वाले 1/8 के हिस्से से [illegible] है उसके दर्ज हिस्से को कम करने व वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से दिनांक 10-1-2022 को निवेदन किया जा रहा है कि श्री उमेदसिंह के [illegible] के उत्तराधिकारी उनके बनने वाले हिस्सेनुसार नाम [illegible] व हिस्सा दर्ज करवा दें तो प्रतिवादी संख्या 01 ने इन्कार कर दिया व धमकी दी कि वह अपने 1/3 हिस्से के अतिरिक्त उनकी माता का हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवायेगा व वादीगण संख्या 02 से 05 तक का विवाह हो गया इसलिये उन्हें कोई हिस्सा नहीं देगा क्योंकि उनका पिता की सम्पत्ति में विवाह के बाद हक नहीं बनता।

यदि वादीगण हिस्से के [illegible] [illegible] तो प्रतिवादी संख्या 01 भूमि को विक्रय कर देगा। वादीगण को वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि पर [illegible] नहीं करने देगा। इसलिये वादीगण वादग्रस्त जायदाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

दिनांक 10-01-2022 से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण संख्या 2 लगायत 5 तक को हिस्सा देने उनका नाम वादग्रस्त जायदाद में दर्ज करने से इन्कार होने व जायदाद का बंटवारा कराने से मना करने से विवाद [illegible] उत्पन्न हो गया है।

वादग्रस्त जायदाद न्यायालय [illegible] क्षेत्र की सीमा में स्थित होने से वादप्रत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष योग्य क्षेत्राधिकार के है।

अतः वादीगण अनुतोष चाहते है कि [illegible] [illegible] [illegible] तहसील [illegible] स्थित वादग्रस्त जायदाद ग्राम [illegible] की आराजी नम्बर 138, 164, 276, 302, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 357, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 503, 570, 571/1, 583, 584, 585, 588, 591, 592, 593, 594, 595/1, 625, 606 कुल किता 37 रकबा 36.1681 हैक्टेयर भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/8 के हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 वे हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें।

प्रतिवादी संख्या 01 व वादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 1/3 हिस्से को हटाया जाकर उसके स्थान पर उनका 1/8 का हिस्सा दर्ज किये जाने की डिक्री प्रतिवादी संख्या 02 से [illegible] विरुद्ध सादिर फरमायी जावे। [illegible] संख्या 5 जिला में वादीगण क्रमांक 02 से 05 तक के बनने वाला हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख कराया जावे।

वादग्रस्त कृषि भूमि का [illegible] [illegible] के मध्य [illegible] एवं बंटवारा के आधार पर बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से वादीगण का हिस्सा अलग किये जाने की डिक्री प्रतिवादीगण के विरुद्ध सादिर फरमायी जावे।

[illegible]

प्रतिवादी संख्या 01 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अहकाम से बनने वाले हिस्से पर कब्जा करने देवे एवं भूमि को विक्रय नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 02 राजस्व अभिलेखों में वाद के रहते कोई परिवर्तन नहीं करे। अन्य अनुतोष जरिये प्रदान हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा से ... [illegible]

... /2022/ ... दिनांक 03.08.2023 ... [illegible] ... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ... दिनांक 30.07.2024 को प्रकरण संख्या 642/2024 ... दर्ज ... नोटिस जारी किये गये।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक न्याय/रिट/2025/ ... दिनांक ... 2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण ... न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पश्चात् दिनांक 24.03.2025 को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 378/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ... द्वारा मूल वाद में ... दिनांक 13.08.2025 को पेश किया गया। प्रतिवादीगण को ... तामील होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 20.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 के ... होने से पश्चात् उनकी ... हेतु नियत की गई।

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ... द्वारा ... दिनांक 26.09.2025 को प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 16.12.2025 को ... पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 06.10.2025 को ... पत्र पेश किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 26.10.2025 राजीनामा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य ... की ... व ... की भावना से राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा अनुसार वादी संख्या 01 ... सिंह पुत्र ... सिंह राजपूत के हक-हिस्से में निम्न आराजियात रखने हेतु सभी पक्षकार सहमत है:-

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
276	0.0130
302	0.4645
341	0.8213
342	1.1127
343	0.5924
344/2	0.5809
345	0.0540
346	0.3897
347	0.6090
385	1.1127
387	2.4989
388	3.0648
389	3.0642
500	3.5618
570	2.8256
571/1	6.1144
598	9.1805 में से 10 बीघा भूमि आराजी संख्या 598 उत्तर पूर्व ओर की प्रतिवादी संख्या 01 के रहेगी।

(हस्ताक्षर) ... अतिरिक्त कलक्टर भीलवाड़ा

591	0.4753
592	0.2865
593	0.2465
594	0.4213
595 / 1	0.3065
605	0.3241
608	0.3033

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] पुत्र श्री [illegible] राजपूत के [illegible] निम्न आराजियात रखने हेतु सभी पक्षकार सहमत है:-

आराजी संख्या	रकबा हेक्टेयर में
138	0.1320
164	0.1210
353	1.8641
354	0.6374
355	1.0042
356	1.0105
357	0.2562
361	0.3086
362	0.6042
363	0.6077
383	0.0324
384	0.7880
385	0.5401
586	4.9006 में से 15 बीघा पूर्व आराजी संख्या 586 उत्तर पूर्वी कोने की

राजीनामानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजीनामा हो गया है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तथ्यानुसार पत्नी श्री उम्मेदसिंह राजपूत की मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक वारिस पहिले से ही प्रकरण में पक्षकार मुकदमा हैं। इसके अलावा वादी संख्या 01 लगभग 65 विवादित आराजियात में कोई हक-हिस्सा नहीं [illegible] है। पक्षकारान के मध्य हुये उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। राजीनामा प्रार्थनापत्र के साथ नक्शा संलग्न है, जो राजीनामा का अंग होगा।

अतः प्रार्थना है कि राजीनामा प्रार्थनापत्र [illegible] स्वीकार कर प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से राजीनामा का [illegible] राजीनामा प्रार्थनापत्र डिक्री करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा विचाराधीन वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उभयपक्षकारान, अधिवक्तागण द्वारा अपने-अपने पक्षकारान की तस्दीक की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 बाबत दीवानी के विधिक प्रावधान निम्नानुसार है:-

वाद में समझौता- जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि वाद पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषय वस्तु के या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि को अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा और जहां तक कि वह वाद के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे करार, समझौते या तुष्टि की विषय वस्तु वही हो या न हो जो कि वाद की विषय वस्तु है वहां तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा।

परन्तु जहां एक पक्षकार द्वारा यह अभिकथन किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा यह इंकार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी वहां न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, किन्तु इस प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी स्थगन की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा स्थगन मंजूर करना ठीक न समझे।

अतः कोई ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा।

आदेश 23 नियम 3 जाब्ता दीवानी के अनुसार जब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं हो ऐसी स्थिति में न्यायालय वाद का तुरन्त निर्णय सुना सकेगा। विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान् के मध्य विचाराधीन वाद में राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है एवं विधि की मंशा के अनुरूप है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से एवं राजीनामे पर सभी पक्षकारान् की सहमति होने से राजीनामा दिनांक 06.10.2025 को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

:- आदेश :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उभयपक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजीनामा एवं राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कोटड़ी को राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का खाता पृथक–पृथक किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

10/12/25

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा